न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 34/2022

बउनवान

1. गीता बाई आयु 69 वर्ष पत्नि श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी पचेल खुर्द, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2. दीपक कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण, जाति मीणा, निवासी पचेल खुर्द, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) (अपीलांटगण)

बनाम

1. नट्टी बाई आयु 85 वर्ष पत्नि श्री रामकल्याण, जाति मीणा निवासी बटावदा तहसील व जिला बारां (राज0)
2. सुमित कुमार आयु 7 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रमोद कुमार नाबालिग जर्येवली प्राकृतिक संरक्षक माता सुगना बाई पत्नि स्व0 श्री प्रमोद कुमार जाति मीणा निवासी पचेल खुर्द तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
3. जानकी बाई आयु 64 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री चन्दालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम थामली तहसील व जिला बारां (राज0)
4. चमेली बाई आयु 56 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री रामगोपाल, जाति मीणा निवासी ढोली झालोड तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
5. रूकमणी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री रमेशचन्द, जाति मीणा, निवासी जारेला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. द्रोपदी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री दुर्गाशंकर, जाति मीणा निवासी ग्राम जिरोद तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7. कलावती आयु 32 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री राकेश कुमार, जाति मीणा निवासी म0नं0 714, 715 विवेकानन्द नगर ओपन यूनिवर्सिटी के सामने, कोटा जिला कोटा (राज0)
8. उमा बाई आयु 45 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री रामस्वरूप, जाति मीणा निवासी म0नं0 1–सी–3, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा, जिला कोटा (राज0)
9. सुन्दरी बाई आयु 38 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी शिव कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
10. गीता बाई आयु 47 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण पत्नि श्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी पंचेल कलां तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट्स)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.08.2022 वसीयत जांच कार्यवाही फौती नामांतकरण मृतक रामकल्याण तहसील अन्ता, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. [illegible] (अपीलांटगण)
2. श्री महेश प्रक[illegible] एडवोकट (रेस्पो. कम 1, 3 ता 5,10)
3. [illegible] (रेस्पो. कम 6 ता 10)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:52:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30.06.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 10 मृतक रामकल्याण जाति से मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से प्राचीन एवं शास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित है, जिन पर हिन्दू

उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। खातेदार मृतक रामकल्याण ने वाके माल पचेल कलां तहसील अन्ता के खाता संख्या 151 के कुल खसरा नंबर 7 किता क्षेत्रफल 4.25 है0 आराजियात बाबत् अपने जीवनकाल में दो वसीयतें दिनांक 31.05.2019 को उप पंजीयक अन्ता में पंजीयन करवाकर अपीलान्टगण को अपना वसीयती उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। खातेदार रामकल्याण दिनांक 02.12.2019 को फौत होने पर वसीयती उत्तराधिकारियों ने वसीयत के आधार पर नामांतकरण खुलवाने हेतु दिनांक 27.01.2020 को रेस्पोडेन्ट क्रम 11 के यहां आवेदन प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। हल्का पटवारी ने दिनांक 16.03.2020 को जांच रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट अनुसार मृतक रामकल्याण के विधिक वारिसान को तलब किया गया। मृतक के वारिसान ने मृतक रामकल्याण द्वारा अपीलान्टगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 31.05.2019 बाबत कोई विरोध एवं आपत्ति नही की एवं वसीयत को स्वीकार किया। वसीयत नामां दिनांक 31.05.2019 के गवाह अमृतलाल पुत्र प्रभूलाल मीणा व अनिल कुमार पुत्र कृष्णमुरारी धाकड ने दिनांक 16.03.22 को अपनी साक्ष्य में मृतक रामकल्याण द्वारा वाके माल पचेल खुर्द तहसील अन्ता के खाता संख्या 151 कुल 7 किता क्षेत्रफल 4.25 है0 आराजी के खसरा नंबर 524, 714/523, 725/522 कुल 3 किता क्षेत्रफल 3.12 है0 भूमि का वसीयतनामा पुत्र दीपक कुमार के पक्ष में व खसरा नंबर 525, 526, 527, 718/529 कुल 4 किता क्षेत्रफल 1.83 है0 का वसीयतनामा अपनी द्वितीय पत्नि गीताबाई के नाम निष्पादित किये गये वसीयतनामों को विधिवत प्रमाणित किया है। उक्त समस्त साक्ष्यों की विवेचना किये बिना ही, अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत जांच कार्यवाही को इस आधार पर कि बयानों के अनुसार उक्त वसीयतकर्ता के अन्य भी वारिसान होता बताया है। अतः इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय में तय करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु अमल करवाकर पेश करें, पत्रावली को फैसल कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के वसीयती एवं फौती नामांतकरण के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। वसीयत के प्रमाणन को वसीयती गवाहान अमृतलाल व अनिल कुमार ने अपनी साक्ष्य में दिये बयानों में रामकल्याण द्वारा किये गये हस्ताक्षरों एवं अंगुठा निशानी उक्त वसीयत पर बतौर गवाह अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित कर वसीयतनामा के विधिवत प्रमाणन को सिद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधार पर वसीयत जांच कार्यवाही के फौती नामान्तकरण को अस्वीकार किया है वह आधार हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में स्पष्टतया वर्णित होने के उपरान्त उक्त वसीयत जांच कार्यवाही के विचारण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य में वसीयत बाबत किसी भी विधिक उत्तराधिकारी ने कोई आपत्ति नही की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से भ राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर वसीयती फौती नामांतकरण को अस्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2022 वसीयत जांच कार्यवाही फौती नामांतकरण मृतक रामकल्याण तहसील अन्ता निरस्त फरमाया जाकर पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 31.05.2019 के आधार पर मृतक रामकल्याण की आराजी का फौती नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में खोले जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:52:25 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार [illegible] रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड [illegible] 3 ता 5, 10 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 6 ता 10 जर्ये पृथक पृथक [illegible] रेस्पो. क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि खातेदार मृतक रामकल्याण ने दो वसीयतें दिनांक 31.05.2019 को उप पंजीयक अन्ता में पंजीयन करवाकर अपीलान्टगण को अपना वसीयती उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अधीनस्थ

न्यायालय ने वसीयत जांच कार्यवाही को इस आधार पर कि बयानों के अनुसार उक्त वसीयतकर्ता के अन्य भी वारिसान होता बताया है। अतः इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना उचित नही है। प्रार्थी रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय में तय करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पेश करें, पत्रावली को फैसल कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर वसीयती फौती नामांतकरण को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2022 वसीयत जांच कार्यवाही फौती नामांतरकरण मृतक रामकल्याण तहसील अन्ता निरस्त फरमाया जाकर पंजीकृत दो वसीयतनामे दिनांक 31.05.2019 के आधार पर मृतक रामकल्याण की आराजी का फौती नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में खोले जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन नहीं किया। तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में रेस्पोडेन्टगण को कोई आपत्ति नहीं होना अवगत करवाया।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में खातेदार मृतक रामकल्याण द्वारा दो पृथक पृथक वसीयतें दिनांक 31.05.2019 को उप पंजीयक अन्ता में पंजीयन करवाकर अपीलान्टगण को अपना वसीयती उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। खातेदार रामकल्याण के फौत होने पर वसीयती उत्तराधिकारियों ने वसीयत के आधार पर नामांतकरण खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन मृतक के अन्य वारिसान भी होना अंकित करते हुए आवेदक को रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय से तय कराकर राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु पेश करने के निर्देश देते हुए आवेदन का निस्तारण कर दिया।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 7/2021 में संलग्न बयानात में मृतक के अन्य किसी उत्तराधिकारी ने वसीयतनामे बाबत कोई आपत्ति दर्ज नही कराई। तथा हस्तगत प्रकरण में भी बहस के दौरान अभिभाषकगण रेस्पोडेन्ट्स ने कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2022 वसीयत जांच कार्यवाही फौती नामांतकरण मृतक रामकल्याण तहसील अन्ता निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अन्ता को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:52:25 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां